न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
041/2023 (रा.अ.) (GCMS 2023/341)	15.12.2023	30.05.2024

अनवान

चतुर्भुज पिता चैनराम जाति जटिया निवासी धनेत कलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. पटवारी, पटवार हल्का धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :– बीआर धाकड अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल क्रमांक 013/2023 निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.09.2023

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 013/2023 अनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का धनेतकलां बनाम चतुर्भुज अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 11.09.2023 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलार्थी बेरून मियाद पेश की गई है। विलम्ब क्षम्य हेतु अपीलार्थी की और से धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपीलार्थी की और से स्थगन हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश किया गया है।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व/2024/32 दिनांक 09.02.2024 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 013/2023 निर्णय दिनांक 11.09.2023 अनवानी सरकार बनाम चतुर्भुज पिता चैनराम जाति जटिया निवासी धनेत कलां अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा सीधे बहस प्रार्थना–पत्र के निवेदन पर प्रकरण में स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली को वास्ते बहस अपील हेतु रखा गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विपक्षी/अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नही थी एवं स्वास्थ्य खराब होने से आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 27.10.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है, इस बाबत् अपीलार्थी का सच्चा शपथ–पत्र पेश किया गया है, अतः अपील प्रस्तुत में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन कराया एवं बताया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 11.09.2023 को जवाब पेश किया गया है, जो कि मूल अभिलेख पत्रावली में हम किता है, ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 11.09.2023 की जानकारी अपीलार्थी को रही है एवं जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः अपील अपीलार्थी को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा धनेत कलां तहसील चित्तौड़गढ़ में हल्का आबादी के बीच अपीलार्थी के स्वामित्व एवं उपयोग उपभोग का पुश्तैनी मकानियत एवं बाडा हाल आराजी नम्बर 797 रकबा 0.52 हैक्टेयर में स्थित है। जिसमें अपीलार्थी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करीब 0.02 हैक्टेयर में पुराना बाडा एवं मकान बना हुआ है। उक्त बाडा विपक्षी का पैतृत पुश्तैनी होकर बाप दादाओं के जीवनकाल से उपयोग उपभोग कर वर्तमान में पक्का मकान बना हुआ है। अपीलार्थी की और से जवाब एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना किसी साक्ष्य सबूत के जल्दबाजी में संपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर भौतिक रूप से बेदखली का आदेश पारित किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया व निवेदन किया कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व भूमि आवंटन नियम 1961 के तहत उक्त बाडा दिनांक 20.10.1991 को जरिये मिसल संख्या 035/1991 के तहत विपक्षी की पत्नी भगवती पत्नी चतुर्भुज को आवंटन किया गया।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि मौजा धनेत कलां की आराजी संख्या 797 रकबा 0.52 हैक्टेयर बिलानाम भूमि दर्ज रेकार्ड होकर किस्म भूमि **नाडा** है। किस्म भूमि नाडा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों उद्यभूत नहीं होते है। इसके साथ उक्त अराजीयात बाबत् अपीलार्थी की माता को राजस्थान भू–राजस्व (संग्रहस्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 के नियम 4 के तहत आवंटित किया जाना बताया गया है, लेकिन नियम 1961 के नियम 4(क) के अनुसार आवंटित भूमि में आवंटिती का स्वामित्वाधिकार नहीं होता है। तथा आवंटिती को आवंटित भूमि पर स्थाई प्रकार की कोई कच्ची या पक्की संरचना स्थापित किये जाने का अधिकार नहीं होता है। विवादित आराजीयात बिलानाम अभिलिखित होकर राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है एवं अपीलार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण करना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं होकर सद्भावी काश्तकार है, जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करना व फोटो प्रति को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संदेहास्पद मानते हुए अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली, जुर्माना व पक्का मकान जप्त सरकार किए जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय न्यायालय में अपीलार्थी व उसके भाईयों ने जवाब नोटिस व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह प्रमाणित करवाया कि अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण नहीं वैध कब्जेदार है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अतिक्रमी का अतिक्रमण मानते हुए निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी की पत्नी को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के द्वारा संग्रहण स्थल हेतु बाडा आवंटन आदेश पारित किया है व कब्जा सिपुर्द किया गया है जिससे बाडा आवंटन आदेश को निरस्त कराए बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को अतिक्रमण की कार्यवाही कि जाने का किसी प्रकार को कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 11.09.2023 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान किया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2023 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**’’

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। आराजीयात जैरबहस बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना अपील मेमों में अंकित किया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता को संदेहास्पद माना गया है, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई तथ्य अभिवचन न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है।

हस्तगत प्रकरण इस तथ्य को देखना भी आवश्यक है कि प्रश्नगत आराजीयात की किस्म भूमि **नाडा** दर्ज रेकार्ड है जो कि **भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते है जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004** द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि प्रश्नगत आराजी अपीलार्थी की माता को राजस्थान भू–राजस्व (संग्रहस्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 के नियम 4 के तहत आवंटित की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही नियम 1961 के नियम 4 'क' के तहत आवंटित भूमि में आवंटिती का स्वामित्वाधिकार नहीं होता है वह सरकार में निहित होता है एवं बिना मुआवजा चुकाये किसी भी समय भूमि का पुनर्ग्रहण करने का सरकार को अधिकार को होता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज है। इसके संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2023 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2023 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2023 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 041/2023(रा.अ.) अनवानी चतुर्भुज बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 013/2023 निर्णय दिनांक 11.09.2023 अनवानी सरकार बनाम चतुर्भुज को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official